उदासीन रवैया उचित नहीं

यह दुर्भाग्य है कि ग्यारह वर्षों के व्यतीत होने के पश्चात् भी कार्पोरेट कार्यालय ने नॉन–इक्जीक्युटिव कर्मचारियों की संघों के मान्यता के नियम नहीं बनाये है। इस संदर्भ में संघों की मांग पर निरन्तर उदासीन रवैया अपनाया गया जो कि कदापि उचित नहीं है। ***संघों की आवाज "नक्कार खाने में तूती की आवाज" साबित हुई है।*** प्रबंधन मुद्दे के समाधान नहीं करने के लिए नाना प्रकार के बहाने तथा हथकन्डे अपनाता रहा है तथा संघों के मान्यता हेतु गैर–कानूनी नियम थोपता रहा है। आश्चर्य तो यह है कि प्रबंधन जिसके द्वारा मान्यता के लिए सत्यापन कराता है वह सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन्स पर लागू होता है। असम्बद्ध संघों के लिए यह नहीं है। वर्ष 2008 में सत्यापन की बैठक में डिपुटी चीफ लेबर कमिशनर ने कहा था कि बीएसएनएल संघों की मान्यता के लिए अपना नियम बना सकता है। परन्तु "एस आर सेल" दो वर्षों में इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया यद्यपि अधिकारियों ने संघों की मान्यता के नियम बनाया है। प्रशासन के उदासीन रवैया के कारण कर्मचारियों की समस्याओं तथा कष्टों का समाधान नहीं होता है। ***प्रबंधन को भली भांति मालूम है कि विभिन्न स्तरों की निगोशिएटिंग मशीनरी में पचास प्रतिशत से अधिक कर्मियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसी दशा में क्या कम्पनी में औद्योगिक शान्ति रह सकती है जो कि कम्पनी के विकास तथा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक है।***

विभिन्न बैठकों तथा प्रतिवेदनों द्वारा प्रबंधन को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि "कोड ऑफ डिस्पिलिन" नान–एक्जीक्यूटिव संघों के लिए नहीं है परंतु कोई कार्य नहीं किया गया तथा पांचवे वेरीफिकेशन में तर्कहीन व्यवस्था दी कि संघों में मतैय नहीं है। तथ्य तो यह था कि दो संघो, बीएसएनएलईयू तथा टीपू के अतिरिक्त सभी संघों ने एक स्वर से बीएसएनएल नियम की मांग की थी।

वेरीफिकेशन/चुनाव तथा तत्पश्चात् संघों की मान्यता की प्रक्रियाओं का कटु अनुभव है। प्रशासन अत्यधिक धन व्यय करता है। चुनाव अभियान कर्मचारियों के परफार्मेंस को भी प्रभावित करता है। अभियान के दौरान वातावरण दूषित होता है तथा कड़वाहट निरन्तर मौजूद रहती है। यह कम्पनी के हित में नहीं है।

मान्यता प्राप्त संघ, बीएसएनएलईयू, जिसने पांचवे वेरीफिकेशन के समय बीएसएनएल नियम बनाने का विरोध किया था अब मांग की है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर बीएसएनएल मान्यता के अपने नियम बनाए। प्रबंधन को समझना चाहिए कि यह अब लगभग सम्पूर्ण कर्मचारियों की आवाज है कि कम्पनी मान्यता के अपने नियम बनाए जिससे कि उनके कष्टों का निराकरण हो।

हमें विश्वास है कि प्रबंधन कर्मचारियों की आवाज को सुनेगा तथा इस दिशा में कार्यवाही करेगा। यह हास्यास्पद है कि 50 हजार कर्मचारियों हेतु दो संघ हैं जो कि वर्षों से बगैर वेरीफिकेशन मान्यता प्राप्त संघ के रूप में सारी सुविधाओं को भोग रहे हैं।

इसके ठीक विपरीत 2 लाख 30 हजार कर्मचारियों हेतु केवल एक संघ। ऐसा क्यों? क्या प्रबंधन भेदभाव में विश्वास रखता है?